10

पत्र संख्या-स्था-5(ख)-ज्येष्ठता सूची (लिपिक संवर्ग)-2019-20// 3704 // वाणिज्य कर

कार्यालय-कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 15 नवम्बर, 2021

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3473 दिनांक 09-11-2015 के माध्यम से वाणिज्य कर विभाग में दिनांक 24-01-2013 तक, कार्यालय ज्ञाप संख्या-2957 दिनांक 17-09-2018 के माध्यम से दिनांक 23-06-2015 तक तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-3057 दिनांक 25-09-2019 के माध्यम से दिनांक 30-06-2016 तक के मौलिक रुप से नियुक्त लिपिक वर्गीय कार्मिकों की ज्येष्ठता सूचियाँ जारी की गयी हैं। तदोपरान्त मुख्यालय के पत्र संख्या-3556 दिनांक 04-11-2019 द्वारा विभाग में दिनांक 01-07-2016 से दिनांक 30-06-2019 तक के मौलिक रुप से नियुक्त कनिष्ठ सहायकों का नाम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु कार्मिकों के सेवा विवरण निर्धारित प्रारुप में उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अवगत कराना है कि लिपिक वर्गीय ज्येष्ठता सूची में दिनांक 01-07-2019 से दिनांक 30-06-2021 तक नियुक्त कार्मिकों को भी सम्मिलित किया जाना है। अत: उपरोक्त सम्बन्ध में पूर्व में पत्र संख्या-3556 दिनांक 04-11-2019 में दिये गये निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए विभाग में दिनांक 01-07-2016 से दिनांक 30-06-2021 तक मौलिक रुप से नियुक्त तथा आपके सम्भाग के अन्तर्गत कार्यरत कनिष्ठ सहायकों का संकलित सेवा विवरण निम्न प्रारुप में उपलब्ध कराये, ताकि ऐसे कार्मिकों की संकलित सूची अनन्तिम रुप से जारी करते हुये नियमानुसार ज्येष्ठता सूची को अद्यावधिक किया जा सके :-

(विभाग में दिनांक 01-07-2016 से दिनांक 30-06-2021 तक मौलिक रुप से नियुक्त कनिष्ठ सहायकों का विवरण)

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	पिता / पति का नाम	जाति / उपजाति	जन्म तिथि	गृह जनपद	नियुक्ति के आदेश का दिनांक	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	स्थायीकरण की तिथि	वर्तमान तैनाती	नियुक्ति का प्रकार (आयोग द्वारा / मृतक आश्रित / चतुर्थ श्रेणी से पदोन्नत)	दिव्यांगता की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

कृपया यह भी अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्त वांछित सूचना प्रेषित करते समय यदि कोई कनिष्ठ सहायक दिव्यांग श्रेणी का है तो उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-12 में उसकी दिव्यांगता के प्रतिशत का स्पष्ट उल्लेख करते हुये सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति सहित सूचना उपलब्ध करायें।

(सूर्यमणि लालचंद)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक // उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

3- समस्त आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

4- पटल प्रभारी स्था-5(क) / स्था-6(सामान्य), स्थापना अराजपत्रित अनुभाग, वाणिज्य कर, मुख्यालय।

(पी0एन0यादव)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्था0अराज0) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।